


12/6/18

Not pressed  
for  
hs  


पत्रावली राजस्थान लोक अदालत न्याय  
आपके द्वारा केस मुं लखोडा पर  
उत्तर है। उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित।  
बादी के अधिवक्ता द्वारा कई बहकाम पर  
Not Press अंकन कर पत्रावली में कोई  
कार्रवाई मांग नहीं पायी है। तथा साथ  
ही जजबादी के अधिवक्ता द्वारा भी कोई  
कार्रवाई उकलन में नहीं पाएँ बाबल  
सहपती जमाई है। अतः उकलन को Not  
Press दिष्टे जाते हैं और कोई कार्रवाई  
जोब नहीं होने सँ इसी स्वर पर खारीज  
किया जाता है।

पत्रावली केस मुं लखोडा नम्बर से  
कम है।  
